

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक / / 73 / सी.सी. / 17 / अडतीस  
प्रति,

भोपाल, दिनांक

कुलसचिव,  
समस्त पारंपरिक विश्वविद्यालय,  
मध्यप्रदेश।

विषय-पारंपरिक विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु समान पात्रता के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रदेश के पारंपरिक विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में महाविद्यालयों में संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार 14 विषयों में प्रवेश हेतु समान पात्रता सुनिश्चित करने की माननीय कुलाधिपति जी द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरान्त विश्वविद्यालय समन्वय समिति के अनुसार्थन की प्रत्याशा में अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

(वीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव,

म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3.3.83

क्रमांक / 335 / 73 / सी.सी. / 17 / अडतीस  
प्रतिलिपि-

- 1 निज सहायक, मा. मंत्रीजी / मा. राज्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
- 2 अपर सचिव, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
- 3 निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
- 4 आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
- 5 समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
- 6 .....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रगरी अधिकारी, आई. टी. सेल, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव,

म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल

विषय पारंपरिक विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में महाविद्यालय में प्रवेश हेतु समान पात्रता

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	निर्णय
1	बी.सी.ए.	10+2 (गणित विषय के साथ) उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
2	10+2 कृषि सहाय	उत्तीर्ण विद्यार्थी बी.ए. एवं बी.एस.सी. बी.जे. यु.ए. के साथ-साथ एलाइड विषय जैसे सीड टेक्नोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, नॉमोटिक सोइल कन्जरवेशन, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर एवं इंडस्ट्रीयल केमिस्ट्री में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
3	एल.एल.एम.	एल.एल.बी. में 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। (न्यायालयीन निर्णयों के अनुसार 54.5 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी भी प्राप्त होंगे) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्राप्तांकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी।
4	बी.जे.सी.	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
5	डी.जे.एम.सी. (एक वर्षीय)	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
6	बी.बी.ए.	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
7	बी.बी.ए.	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
8	बी.एस.डब्ल्यू.	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
9	बी.टी.एम. (तीन वर्षीय)	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
10	बी.लि.ब.	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
11	एम.एस.डब्ल्यू.	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
12	बी.ए. एल.एल.बी.	बार काउंसिल के निर्णयानुसार निर्धारित पात्रता लागू होगी।
13	एम.एम.सी.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्ड अनुसार निर्धारित पात्रता लागू होगी।
14	बी.ए. ऑनर्स (कंप्यूटर साइंस)	बी.ए. स्तर पर कंप्यूटर साइंस विषय में अभागी सब के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

कर्तव्यरथ अधिकारी  
 म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग  
 (सांख्यिक प्रक्रिया), नई दिल्ली, भारत